रा.मु.ज.--99-1,00,000-03.

प्रपत्र आर. ओ. संख्या 4

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक :-प.2(13)पपा/2000 जयपुर, दिनांक :- 29-7-2003

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
राज0, जयपुर ।

विषय :-चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर जिलों में निजी क्षेत्र के पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जाने बाबत ।

महोदय,

आपके द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् निम्नांकित संस्थाओं को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर निजी क्षेत्र में पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	स्थान एवं जिला जहाँ पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया जावेगा ।
1.	2.	3.
1.	स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल, संस्था-तादूलपुर (चूरू)	तादूलपुर (चूरू)
2.	जे.आर.टांटिया चेरिटेबल ट्रस्ट, टांटिया हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर)
3.	श्री महाजनी विद्यालय समिति, बीकानेर	नाल (बीकानेर)
4.	शेखावाटी एजुकेशन एंड सोशयल डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नवलगढ़ रोड़, सीकर	सीकर (सीकर)
5.	ज्योतिबा फूले सोस्यल वेलफेयर सोसायटी, अजमेर रोड़, जयपुर ।	चौमू (जयपुर)
6.	शिशु एवं ग्रामीण विकास समिति, जयपुर	जोबनेर (जयपुर)
7.	श्री लालबहादुर शास्त्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	जोधपुर (जोधपुर)
8.	सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान, भादरा, हनुमानगढ़ ।	भादरा (हनुमानगढ़)
9.	सुहित जनकल्याण समिति, विज्ञान नगर, कोटा ।	बूंदी (बूंदी)

1.	2.	3.
10.	सहारा शिक्षा समिति, विज्ञान नगर, कोटा	बारां (बारां)
11.	संकल्प सेवा समिति, झालावाड़	झालावाड़ (झालावाड़)
12.	लिबर्टी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी, जयपुर ।	जयपुर (जयपुर) ।
13.	सती जावदे पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, भिवानी (हरियाणा)	जनकपुरा निमराना (अलवर)
14.	महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षा संस्थान, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ।	जयपुर (जयपुर) ।
15.	गरीब नवाज सेवा समिति, अलवर	शाहपुरा (जयपुर) ।
16.	एलाइन्स शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर ।	सीकर (सीकर)
17.	सुरेन्द्र बाल भारती समिति, जयपुर	जयपुर (जयपुर) ।
18.	मनोहर बाल मन्दिर समिति, 5-डी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ।	श्रीगंगानगर (श्रीगंगानगर)

उपरोक्त संस्थाओं को राज्य सरकार/ निदेशक, पशुपालन विभाग, द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों की पालना के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों की पालना की जानी आवश्यक होगी :-

(1) संस्था- निदेशक, पशुपालन विभाग (निदेशालय) एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तकनीकी संस्थाधर्मों से अपने संस्थान को सत्र प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक रूप से सुसज्जित करेंगी । मानदण्डों की अवहेलना की स्थिति में संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी । फिर भी ऐसा कोई निर्णय लिये जाने से पूर्व निदेशक, पशुपालन विभाग, संस्थान को अपनी कमियों में सुधार का अवसर प्रदान करेंगे ।

(2) छात्रों /छात्राओं की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता नियमों के अनुसार होगी । इस संबंध में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजी संस्थाओं के संबंध में दिये गये निर्णय अनुसार प्रवेश एवं शुल्क का निर्धारण किया जावेगा ।

(4) संस्था को किसी भी प्रकार का अनुदान/ अंशदान राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जावेगा ।

(5) संस्था और प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में उत्तरदायित्वों के लिए संस्था जिम्मेदार होगी ।

।6। राज्य सरकार/ निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति संस्था का किसी भी समय निरीक्षण करने हेतु अधिकृत रहेंगे ।

।7। निरीक्षण प्रतिवेदन में संस्था के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं/कमियों की पालना पूर्ति संस्था द्वारा सात दिवस में पूर्ण की जानी आवश्यक होगी ।

।8। पांच वर्षों तक संस्था में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु निकटतम पशु चिकित्सा संस्था एवं विभाग के कृषि फार्मों को उपयोग में लिया जावेगा । इस हेतु यदि कोई व्यय होगा तो वह संस्था द्वारा वहन किया जावेगा । पांच वर्ष पश्चात् संस्था को अपनी स्वयं की उपरोक्त सुविधायें जुटानी आवश्यक होगी ।

।9। संस्था को पचास प्रशिक्षणार्थियों ।छात्रों/छात्राओं। की भर्ती करने की अनुमति दी जाती है ।

।10। संस्था द्वारा शासन को प्रस्तुत प्रस्ताव में रही कमियों एवं निरीक्षण दल द्वारा चिन्हित की गई कमियों के संबंध में संस्था प्रधान द्वारा अथवा संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस विभाग में उपस्थित होकर, जानकारी प्राप्त कर सात दिवस में पूर्ति करनी होगी ।

।11। उपरोक्त संस्थाओं को पंजीयन शुल्क की राशि रूपये 2.00 लाख ।अक्षरे दो लाख। का बैंकर चेक/ड्राफ्ट पत्र प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस की कालावधि में निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर के यहां जमा करानी होगी ।

।12। क्र.सं.3 ।4 से 17 पर अंकित संस्थायें आवश्यक अर्हतायें एवं योग्यतायें पूर्ण नहीं करती हैं । इन्हें आवश्यक अर्हता एवं योग्यतायें पूर्ण करने की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

।सत्यप्रकाश बसवाल।
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है :-

1। निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2। सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3। विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग ।
4। निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5। मंत्रीमंडल सचिवालय/सामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर ।
6। संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग, ।
7। संबंधित उपरोक्त संस्था -
8। रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर) 29/7

।सत्यप्रकाश बसवाल।
शासन उप सचिव